सं.1/1(39)/2026-पी&पीडब्ल्यू(ई)/ई-12002-(4)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 29.10.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- विधवाओं और पात्र बच्चों के बीच कुटुंब पेंशन का बंटवारा – संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि यद्यपि सामान्यत: कुटुंब पेंशन एक समय में कुटुंब के एक पात्र सदस्य को देय होती है, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 में ऐसे विशिष्ट अपवाद दिए गए हैं जिनके अधीन एक से अधिक लाभार्थियों को एक साथ अनुज्ञेय अंश प्राप्त हो सकते हैं।

2. नियम 50(7)(क) में परिवार के एक से अधिक सदस्यों को एक साथ भुगतान के विरुद्ध सामान्य प्रतिबंध उपबंधित है और विशिष्ट अपवाद दिए गए हैं। नियम 50(8)(ग) और (घ) में निहित उपबंधों के अनुसार कुटुंब पेंशन दी जाएगी, जिसमें एक से अधिक उत्तरजीवी पात्र विधवाओं को देय कुटुंब पेंशन, जिसमें बराबर अंश और किसी एक विधवा की मृत्यु होने या अपात्र होने पर अंशों का पुन: आबंटन सम्मिलित है।

3. नियम 50(8)(ङ) से (च) उत्तरजीवी विधवा के साथ-साथ किसी अन्य मृत पत्नी, तलाकशुदा पत्नी अथवा अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे पात्र बच्चों से संबंधित मामले विनियमित करता है। नियम 50(9)(ट) से (ड) अलग-अलग परिवारों से जन्मे पात्र बच्चों के संबंध में है। देय अंशों और बाद के किसी पुन: आबंटन का निर्धारण तथ्यों को नियंत्रित करने वाले विशेष खंड के अधीन किया जाएगा।

4. नियम 50(9)(छ) के अधीन, पात्र जुड़वां बच्चे जो एक साथ हकदार हैं, उन्हें बराबर कुटुंब पेंशन मिलेगी; यदि एक अपात्र हो जाए, तो उस बच्चे का अंश भी दूसरे को मिल जाएगा और दोनों की पात्रता समाप्त होने के बाद, कुटुंब पेंशन परिवार के अगले पात्र सदस्य को मिलेगी।

Sainik Welfare news

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इन निदेशों को कुटुंब पेंशन से संबंधित कार्य करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(दीपक गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक वितरण सूची के अनुसार)

sainik welfare news